पत्रांक –3/एम०–63/2013सा0प्र0...13522/

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

चंचल कुमार
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
पुलिस महानिदेशक
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक ..17.11.......... 2021

विषय– सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 के प्रावधान के आलोक में नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित संविदा पर नियोजित कर्मी के मानदेय निर्धारण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–8710 दिनांक–11.08.2021 द्वारा दिनांक–01.01.2016 के उपरान्त सेवानिवृत्त कर्मियों, जो नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित हैं, को सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 के प्रावधान के तहत संविदा नियोजित किये जाने पर उक्त संकल्प की कंडिका–3(7)(iii) के आलोक में संबंधित कर्मी के मानदेय का निर्धारण हेतु निर्गत स्पष्टीकरण निम्नवत् है–

"दिनांक–01.01.2016 के बाद नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित सेवानिवृत्त कर्मियों का मासिक मानदेय उनके नियोजन के पद संवर्ग के लिए अनुमान्य **पे–लेवल का प्रारंभिक वेतन+उस प्रारंभिक वेतन पर नियोजन की तिथि को अनुमान्य महँगाई भत्ता की राशि का योगफल** के समतुल्य होगा। परंतु इस कारण से परिगणित मानदेय सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन एवं उस पर अनुमान्य महँगाई भत्ता के योगफल से अधिक नहीं होगी। अधिक होने की स्थिति में

सेवानिवृत्ति के समय वेतन+महँगाई भत्ता का योगफल ही पारिश्रमिक के रूप में अनुमान्य किया जायेगा। इस प्रकार निर्धारित मानदेय संविदा अवधि में स्थिर रहेगा।"

2. दिनांक–01.01.2016 से वेतन पुनरीक्षण के उपरान्त पे–बैंड की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया एवं पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारित करने हेतु वेतन स्तर (Pay Level) की व्यवस्था लागू की गयी है। वर्णित स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–8710 दिनांक–11.08.2021 द्वारा निर्गत किया गया स्पष्टीकरण दिनांक–01.01.2016 से वैचारिक रूप से एवं स्पष्टीकरण निर्गत की तिथि–11.08.2021 से वास्तविक रूप से प्रभावी होगी।

3. अतः सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–8710 दिनांक–11.08.2021 द्वारा निर्गत स्पष्टीकरण के आलोक में नई पेंशन योजना से आच्छादित संविदा नियोजित सेवानिवृत्त कर्मियों का मानदेय उपर्युक्त कंडिका–2 के अनुरूप निर्धारित किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

18/11/21

(चंचल कुमार)

सरकार के प्रधान सचिव।